

अंतिम डिक्री बमुकदमें इबादाई

(आदेश 20 नियम 8,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत साँवरमल रैगर, आर.ए.एस.,

सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत

श्री पूर्णाराम वगैरह


बनाम

श्री गोमन्द राम वगैरह

मुकदमा नं. 19/2024 दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वारते इनाफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री रणजीतरिंह निर्याण अधिवक्ता उपस्थित एवं पैरोकारराज मिनजानिब मुदई उपस्थित मिनजानिब मुदालय पेश हुकम दिया जाता है व डिक्री किया जाता है। अतः कानून की यह स्वीकृत रिथति है कि एक रिकार्डेड खातेदार अपने हिस्से आई जमीन का तमसमा लेकर अपना अलग खाता व लगान कायम करवाने का हकदार है इस कानूनी दृष्टि से हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने में कोई कानूनी अडचन प्रतीत नहीं होती है। अतः वादी का वाद उसके पक्ष में खिलाफ प्रतिवादी सं 1 ता 20 स्वीकार योग्य पाया जाता है और स्वीकार किया जाता है। अतः विवादित भूमि की बाई मीट्स एण्ड बाउन्स अच्छी से अच्छी से मंदी से मंदी विभाजन की अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है -


नाम ग्राम/ चक	ख0न0/ मु0न0	तफसील रकबा				वर्तमान खातेदार	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित रकबा	लगान			
		क	अ. क.	बारानी	यो ग							
				69	69	हरतु देवी पत्नी हीराराम नायक सा. कंवलीसर, चरकडा तह. नोखा हिस्सा 1/2 दर हिस्सा1/3(23 बीघा) हीराराम वल्द भोलाराम जाति नायक सा. चरकडा तह. नोखा हिस्सा 1/2 दर हिस्सा (23 बीघा) पूर्णाराम लालूराम, देवूराम पुत्रगण पदमाराम कौम नायक सा. कावनी हिस्सा 1/3 (23 बीघा) ब हि ब गोमन्दराम, पीथाराम, अजूराम, दुलाराम, तुलछी, छोटादेवी, कम्मा, प्रकाश देवी, मीरा देवी, पिसरान झींठाराम हिस्सा 1/30 ब हि ब				हरतु देवी पत्नी हीराराम नायक सा. कंवलीसर, चरकडा तह. नोखा हिस्सा 1/2 दर हिस्सा1/3(2 3 बीघा)	330/1 रकबा 11.50 बीघा	1.15 रूपए
						लालूराम पुत्र पदमाराम नायक सा. चानी तह. कोलायत हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 23 बीघा	330/2 रकबा 7.70 बीघा	1.00 रूपए				
						पूर्णाराम, देवूराम, पिसरान पदमाराम कौम नायक सा. चानी तह. कोलायत हिस्सा 2/3	330/3 रकबा 15.30 बीघा	1.50 रूपए				



(साँवरमल रैगर)  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन  
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

					श्रीमती फूरी पत्नी सोनाराम, भंवरराम, रामूराम, मगनराम, दिलीपराम, रूपाराम, लक्ष्मणराम, बाली, सुशीला, केसर, संतोष पिसरान सोनाराम हिस्सा 1/30 ब हि ब कौम नायक सा. कावनी खातेदार	दर हिस्सा 23 बीघा		
					गोमन्दराम, पीथाराम, अजूराम, दुलाराम, तुलछी, छोटादेवी, कम्मा, प्रकाश देवी, मीरा देवी, पिसरान झींटराम हिस्सा 9/10 ब हि ब श्रीमती फूरी पत्नी सोनाराम, भंवरराम, रामूराम, मगनराम, दिलीपराम, रूपाराम, लक्ष्मणराम, बाली, सुशीला, केसर, संतोष पिसरान सोनाराम हिस्सा 1/30 ब हि ब कौम नायक सा. कावनी खातेदार	330/4 रकबा 23 बीघा	2.30 रूपए	
					हीराराम वल्द भोलाराम जाति नायक सा. चरकडा तह. नोखा हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 23 बीघा	330/5 रकबा 11.50 बीघा	1.15 रूपए	


नीज - मुबलिक - बाबत खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शरह फिस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल यानी तक - को अदा करें। बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 24.09.2024 को डिक्री जारी की गई। उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु. कोलायत को निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ प्रेषित है।


  
हस्ताक्षर

(संतोष रैगर)

सहायक उपनिवेशन  
मु. कोलायत

मुदई	रूपया	न.प.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	-	-	स्टाम्प अर्जी दावा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा	-	-	स्टाम्प वकालतनामा	-	-
स्टाम्प तलबाना	-	-	स्टाम्प तलबाना	-	-
महनताना वकील	-	-	महनताना वकील	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
फीस कमिश्नर	-	-	फीस कमिश्नर	-	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-



  
 (साँवरमल रैगर)  
 सहायक आयुक्त उपनिवेशन  
 प्रथम बीकानेर मु. कोलायत